न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 36 / 2019 / बाड़मेर

अपीलांट

1. मूलाराम पुत्र दीपाराम उम्र 59 वर्ष
2. रेखाराम पुत्र दीपाराम उम्र 57 वर्ष
3. खेताराम पुत्र दीपाराम उम्र 30 वर्ष
4. अगराराम पुत्र दीपाराम उम्र 25 वर्ष
5. शांति पत्नी दीपाराम उम्र 75 वर्ष
6. मोतीराम पुत्र बागाराम उम्र 40 वर्ष
7. हीराराम पुत्र बागाराम उम्र 38 वर्ष
8. भंवराराम पुत्र बागाराम उम्र 35 वर्ष
9. बालाराम पुत्र बागाराम उम्र 32 वर्ष
10. मालाराम पुत्र बागाराम उम्र 30 वर्ष
11. चूनी पत्नी बागाराम उम्र 60 वर्ष

जाति जाट निवासी निम्बाणियों की ढाणी (सवाऊ पदमसिंह) तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर।

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.राऊराम पुत्र मोटाराम
2.राजूराम पुत्र मोटाराम
3.श्रीमती टुगियों पत्नी गिरधारीराम जाति जाट निवासी निम्बाणियों की ढाणी (सवाऊ पदमसिंह) तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर।
4.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गिड़ा जिला बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 82/1994 बअनवान राऊराम वगैरा बनाम मूलाराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.06.2017 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री राजेश विश्नोई अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री मोहनलाल पूनड़ रेस्पोडेंट संख्या 01 से 03 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः— 10.10.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 से 03 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद इस आशय का पेश किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 702 रकबा 387.01 बीघा मौजा निम्बाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र सवाऊ पदमसिंह तहसील बायतु वर्तमान तहसील गिड़ा में आया हुआ है जिसमें वादीगण का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का 1/2 हिस्सा है। वादीगण/उतरदाता अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से वाद अदम पैरवी व अदम हाजरी खारिज कर दिया। उतरदातागण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 24.04.2003 के विरूद्ध पेश की गई। न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 18.01.2017 अपील स्वीकार कर पत्रावली अधीनस्थ

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

न्यायालय को सुनवाई हेतु रिमाण्ड की गई, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 08.03.2017 को पत्रावली पुनः उसी नम्बर पर दर्ज कर सुनवाई प्रारम्भ की गई। अपीलांटगण को रजिस्ट्री डाक से नोटिस जारी करना बताया है जबकि डाक विभाग की कोई रसीद आदि पत्रावली पर मौजूद नहीं है तथा न ही नोटिस आदि जारी होने के कोई क्रमांक आदि दर्ज है, इसके बावजूद भी अपीलांट के विरूद्ध दिनांक 24.05.2017 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई तथा पत्रावली दिनांक 20.06.2017 को न्याय आपके द्वार 2017 के कैम्प कोर्ट सवाऊ पदमसिंह में रखते हुऐ अपीलांटगण को बिना सूचना दिये ही एकपक्षीय अंतिम निर्णय व डिक्री जारी की गई। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त हल्का पटवारी व आर आई ने अपीलांटगण को जानकारी दिये बिना ही उतरदातागण के दबाव में गलत रूप उतरदाता/वादीगण का 1/3 हिस्सा के स्थान पर 1/2 हिस्सा का विभाजन प्रस्ताव कर दिया, जिस विभाजन प्रस्ताव पर गौर किये बिना ही व अपीलांटगण से आपत्ति लिये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट न्यायालय के आदेश की अवहेलना की गई। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) 1955 की नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है। वादीगण/उतरदाता अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से वाद अदम पैरवी व अदम हाजरी खारिज कर दिया। उतरदातागण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 24.04.2003 के विरूद्ध पेश की गई। न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 18.01.2017 अपील स्वीकार कर पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को सुनवाई हेतु रिमाण्ड की गई, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 08.03.2017 को पत्रावली पुनः उसी नम्बर पर दर्ज कर सुनवाई प्रारम्भ की गई। अपीलांटगण को रजिस्ट्री डाक से नोटिस जारी करना बताया है जबकि डाक विभाग की कोई रसीद आदि पत्रावली पर मौजूद नहीं है तथा न ही नोटिस आदि जारी होने के कोई क्रमांक आदि दर्ज है, इसके बावजूद भी अपीलांट के विरूद्ध दिनांक 24.05.2017 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई तथा पत्रावली दिनांक 20.06.2017 को न्याय आपके द्वार 2017 के कैम्प कोर्ट सवाऊ पदमसिंह में रखते हुऐ

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अपीलांटगण को बिना सूचना दिये ही एकपक्षीय अंतिम निर्णय व डिक्री जारी की गई। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त हल्का पटवारी व आर आई ने अपीलांटगण को जानकारी दिये बिना ही उतरदातागण के दबाव में गलत रूप उतरदाता/वादीगण का 1/3 हिस्सा के स्थान पर 1/2 हिस्सा का विभाजन प्रस्ताव कर दिया, जिस विभाजन प्रस्ताव पर गौर किये बिना ही व अपीलांटगण से आपत्ति लिये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। यह बंटवारा By Metes & Bounds के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय By Metes & Bounds किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को एकतरफा विभाजन प्रस्ताव पर उजर एतराज का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया। अरसा 10–15 दिन पूर्व उतरदातागण द्वारा अपीलांटगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप कर काबिज होने का प्रयास करने लगे जिस पर वादीगण ने मना किया तो प्रतिवादीगण ने धमकी दी कि हमने कोर्ट से फैसला अपने पक्ष में करवा लिया है। अपीलांट ने अधिवक्ता से सम्पर्क कर उक्त निर्णय एवं डिक्री की नकल दिनांक 03.04.2019 को प्राप्त की गई तब अपीलांटगण को सर्वप्रथम जानकारी हुई तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपली पेश करने में हुई देरी का कोई संतोषप्रद कारण नहीं बताया। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन के देरी का विवरण नहीं बताया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अपीलांट न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को प्रदान किये गये निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना की गई। राजस्थान टिन्नेसी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका मुआवना नहीं किया गया है व बंटवारा प्रस्ताव पर केवल प्रतिहस्ताक्षकर किये गये है। जबकि तहसीलदार को बंटवारे के मामले में स्वयं मौका देखना चाहिए। अपील के साथ पेश किश्तवार नक्शा क्रमांक 09 दिनांक 17.09.2013 के अनुसार मौके पर कब्जा काश्त है लेकिन विभाजन प्रस्ताव मौके पर कब्जे काश्त के विपरित बनाया गया है जिससे अपीलांटगण की रहवासी ढाणी रेस्पोडेंट के हिस्से में आ रही है। बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय अपीलांट/वादी को अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव पर उजर एतराज पेश करने का अवसर नहीं दिया। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 82/1994 बअनवान राऊराम वगैरा बनाम मूलाराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.06.2017 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को समुचित सुनवाई का मौका दिया जाकर साक्ष्य/सबूत लेकर एवं तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर बाई मिटस एण्ड बाउंडस गुणावगुण पर पुनः निर्णय पारित करे।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

10/10/19

(नाथूसिंह [illegible])

राजस्व अपील प्राधिकारी

बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 10.10.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

10/10/19

राजस्व अपील प्राधिकारी

बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner